लोक शिक्षण संचालनालय
गौतम नगर, भोपाल 462021
दूरभाष 91–0755–2583650 फैक्स 91–0755–2583651
ई–मेल dpividhya@yahoo.com

क्र./विद्या/यो.प्र.पं./2018–19/1327 भोपाल,दिनांक 5/5/18

प्रति,

समस्त संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।

विषय :– राज्य स्तरीय शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र मध्यप्रदेश भोपाल में योग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु वार्षिक योग पंचांग वर्ष 2018–19

....

म.प्र. योगनीति 2007 में योग शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम एक शिक्षक एवं अधिकारी/प्राचार्य गणों को योग में प्रशिक्षित किया जाए। उक्त हेतु नीचे दी गई सारिणी अनुसार आपके संभाग से योग पंचांग अनुसार निर्धारित संख्या में शिक्षकों का चयन कर उनके नाम की सूची शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र म0प्र0, भोपाल को भेजें एवं निर्धारित तिथियों में शिक्षकों को अनिवार्यतः प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त करें। जिससे योग नीति 2007 का सफल क्रियान्वयन हो सके।

वार्षिक योग पंचांग

शिक्षा सत्र 2017–18

(07 मई 2018 से 14 मई 2019 तक)

क्र.	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण का स्वरूप एवं पात्रता	सम्मिलित सम्भाग /जिले	सम्मिलित होने वाले प्रतिभागी	संख्या
	–: 10 दिवसीय बेसिक कोर्स (योग में दक्षता हेतु पूर्व में अप्रशिक्षित विभागीय अधिकारी/प्राचार्यों के लिये) :–				
1.	07.05.2018 से 16.05.2018	10 दिवसीय प्रारम्भिक स्तरीय योग प्रशिक्षण (अधिकारी स्तर)	**जबलपुर**– जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, डिण्डोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, मण्डला, बालाघाट **नर्मदापुरम**– होशंगाबाद, हरदा, बैतूल **शहडोल**–शहडोल, अनूपपुर, उमरिया **उज्जैन**– उज्जैन, शाजापुर, देवास, नीमच, मंदसौर, रतलाम,आगर मालवा **रीवा**– रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना	उपसंचालक, सहायक संचालक, प्राचार्य उ.मा.वि.प्राचार्य हाई स्कूल, डी.पी.सी., ए.पी.सी., बी.आर.सी., प्रधान अध्यापक मा.शाला, जिला क्रीड़ा अधिकारी आदि	शासकीय–50
2.	21.05.2018 से 30.05.2018	–उपर्युक्तानुसार–	**भोपाल**– भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़ **इन्दौर**– इन्दौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खण्डवा, बुरहानपुर, खरगौन, बड़वानी **सागर**– सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना **ग्वालियर**– ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, गुना, दतिया, श्योपुर, अशोकनगर, शिवपुरी	–उपर्युक्तानुसार–	शासकीय–50

निरंतर – 2 –

क्र.	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण का स्वरूप एवं पात्रता	सम्मिलित सम्भाग /जिले	सम्मिलित होने वाले प्रतिभागी	संख्या
3.	04.06.2018 से 13.06.2018	10 दिवसीय जिला स्तरीय प्रारम्भिक स्तरीय योग प्रशिक्षण(शिक्षकस्तर)	मध्यप्रदेश के सभी 51 जिलों हेतु	जिले की प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में अध्यापन कार्य कराने वाले शिक्षक	50
	—: 30 दिवसीय बेसिक कोर्स (योग में अप्रशिक्षित विभागीय शिक्षकों हेतु) :—				
4.	18.06.2018 से 17.07.2018	30 दिवसीय प्रारम्भिक स्तरीय योग प्रशिक्षण (शिक्षक स्तर)	**ग्वालियर**— ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, गुना, दतिया, श्योपुर, अशोकनगर, शिवपुरी	कक्षा 1 से 12 में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षक /अध्यापक/खेलशिक्षक जो पूर्व से त्रैमासिक/ मासिक योग प्रशिक्षित न हों तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल के परम्परागत शासकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक	शासकीय—50 स्वाध्यायी—10
5.	19.07.2018 से 18.09.2018	—उपर्युक्तानुसार—	**जबलपुर**— जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, डिण्डोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, मण्डला, बालाघाट	—उपर्युक्तानुसार—	शासकीय—50 स्वाध्यायी—10
6.	20.08.2018 से 18.09.2018	—उपर्युक्तानुसार—	**सागर**— सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना	—उपर्युक्तानुसार—	शासकीय—50 स्वाध्यायी—10
7.	24.09.2018 से 23.10.2018	—उपर्युक्तानुसार—	**इन्दौर**— इन्दौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खण्डवा, बुरहानपुर, खरगौन, बड़वानी	—उपर्युक्तानुसार—	शासकीय—50 स्वाध्यायी—10
8.	25.10.2018 से 13.11.2018	—उपर्युक्तानुसार—	**उज्जैन**— उज्जैन, शाजापुर, देवास, नीमच, मंदसौर, रतलाम,आगर मालवा	—उपर्युक्तानुसार—	शासकीय—50 स्वाध्यायी—10
9.	15.11.2018 से 14.12.2018	—उपर्युक्तानुसार—	**भोपाल**— भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़ **नर्मदापुरम**— होशंगाबाद, हरदा, बैतूल	—उपर्युक्तानुसार—	शासकीय—50 स्वाध्यायी—10
10.	17.12.2018 से 15.01.2019	—उपर्युक्तानुसार—	**रीवा**—रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना **शहडोल**—शहडोल, अनूपपुर, उमरिया	—उपर्युक्तानुसार—	शासकीय—50 स्वाध्यायी—10
	—: 06 दिवसीय एडवांस कोर्स (पूर्व में त्रैमासिक/मासिक योग प्रशिक्षित विभागीय शिक्षकों हेतु) :—				
11.	17.01.2019 से 22.01.2019	06 दिवसीय एडवांस कोर्स (शिक्षक स्तर)	**इन्दौर**— इन्दौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ,खण्डवा, बुरहानपुर, खरगौन, बड़वानी **भोपाल**— भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़ **रीवा**— रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना	मासिक एवं त्रैमासिक योग प्रशिक्षण प्राप्त अधि. /शिक्षक/अध्या. /खेल शिक्षक /कर्मचारी गण	शासकीय—50
12.	28.01.2019 से 02.02.2019	07 दिवसीय एडवांस कोर्स (शिक्षक स्तर)	**जबलपुर**— जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, डिण्डोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, मण्डला, बालाघाट **ग्वालियर**— ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, गुना, दतिया, श्योपुर, अशोकनगर, शिवपुरी	—उपर्युक्तानुसार—	शासकीय—50

क्र.	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण का स्वरूप एवं पात्रता	सम्मिलित सम्भाग /जिले	सम्मिलित होने वाले प्रतिभागी	संख्या
13.	04.02.2019 से 09.02.2019	–उपर्युक्तानुसार–	**उज्जैन**– उज्जैन, शाजापुर, देवास, नीमच, मंदसौर, रतलाम,आगर मालवा **सागर**–सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना **शहडोल**–शहडोल, अनूपपुर, उमरिया **नर्मदापुरम**–होशंगाबाद, हरदा, बैतूल	–उपर्युक्तानुसार–	शासकीय–50
–: 30 दिवसीय बेसिक कोर्स (अन्य विभागों के योग में अप्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु) :–					
14.	11.02.19 से 12.03.19	30 दिवसीय प्रारम्भिक स्तरीय योग प्रशिक्षण	जनजाति कार्य विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों/शिक्षकों हेतु	हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण हो। शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। योग सीखने में रूचि हो।	शासकीय–50 स्वाध्यायी–10 शुल्क रू. – 500/–
15.	14.03.2019 से 12.04.2019	–उपर्युक्तानुसार–	उच्च शिक्षा विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु	–उपर्युक्तानुसार–	–उपर्युक्तानुसार–
16.	15.04.2019 से 14.05.2019	–उपर्युक्तानुसार–	चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग, गृह एवं पुलिस विभाग	–उपर्युक्तानुसार–	–उपर्युक्तानुसार–
–: सशुल्क अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्षायें :–					
17.	हैप्पीनेस प्रोग्राम (प्रतिदिन 3 घण्टा)	आर्ट आफ लिविंग के प्रशिक्षक द्वारा	6 दिवसीय	जनसामान्य	शुल्क रू. – 1500/–
18.	मधुमेह एवं रक्तचाप नियंत्रण पाठ्यक्रम	एसव्यासा के प्रशिक्षक द्वारा	3 माह	जनसामान्य	शुल्क रू. – 5000/–
–: राज्य स्तरीय कार्यक्रम :–					
19.	21 जून 2018	विश्व योग दिवस	प्रदेश के समस्त जिले	छात्र–छात्राऐं, अभिभावक, जनप्रतिनिधि, गणमान्य, जनसामान्य, अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारी	–
20.	27.12.2018 से 28.12.2018	राज्य स्तरीय शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र म0प्र0, भोपाल का दो दिवसीय स्वर्ण जयंती कार्यक्रम का आयोजन	निदेशक, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, भोपाल के मार्गदर्शन में अक्टूबर 2018 के प्रथम सप्ताह में बैठक आयोजित कर कार्यक्रम के भव्य आयोजन की रूप रेखा तैयार की जाना।	पूर्व में त्रैमासिक/मासिक योग प्रशिक्षित अधिकारी/शिक्षक/अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी एवं प्रदेश में योग के क्षेत्र में कार्य करने वाली शासकीय/अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधिगण	–
21.	12 जनवरी 2019	सामूहिक सूर्य नमस्कार	प्रदेश के समस्त जिले	छात्र–छात्राऐं, अभिभावक, जनप्रतिनिधि, गणमान्य, जनसामान्य, अधिकारी, शिक्षक एवं कर्मचारी	–

जिला शिक्षा अधिकारियों हेतु शिक्षकों के योग प्रशिक्षण हेतु चयन एवं कार्यमुक्त करने सम्बन्धी दिशा–निर्देश

1. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा योग नीति अन्तर्गत कक्षा 6, 7 एवं 8 के पाठ्यक्रम में योग शिक्षा को सम्मिलित किया गया है तथा अन्य कक्षाओं में योग शिक्षा को सम्मिलित करने की कार्यवाही की जा रही है। कक्षा 9 से 12 की समय सारणी में योग का प्रायोगिक कालखण्ड निर्धारित किया गया है। अतः समस्त शालाओं में 01 योग प्रशिक्षित शिक्षक हो, को दृष्टिगत रखते हुए अनिवार्य रूप से शिक्षकों की उपस्थिति योग प्रशिक्षण में सुनिश्चित कराई जाये।

2. 10 दिवसीय बेसिक कोर्स/30 दिवसीय बेसिक कोर्स/06 दिवसीय एडवांस कोर्स हेतु प्रत्येक जिले से 10–10 पात्र प्रशिक्षणार्थियों का चयन कर चयनित अधिकारीयों/शिक्षकों की **सूची प्रशिक्षण आरम्भ होने के एक माह पूर्व** शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल को ई–मेल **gytc.mpbhopal@gmail.com** पर अनिवार्यतः भेजें जिससे प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु शिक्षकों को सीधे निर्देशित किया जा सके।
3. 10 दिवसीय जिला स्तरीय योग प्रशिक्षण सत्रों की मॉनीटरिंग हेतु महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल/शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल के अधिकारी/कर्मचारी निदेशक, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल के निर्देशानुसार जिलों में प्रवास पर रहेंगे। उक्त प्रशिक्षण सत्र हेतु जिला शिक्षा अधिकारी एवं डाइट प्राचार्य तथा डी.पी.सी. आपसी समन्वय से प्रशिक्षण स्थल, आवास स्थल एवं प्रशिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उक्त प्रशिक्षण में प्रशिक्षण देने का कार्य जिले के योग प्रशिक्षित स्त्रोत शिक्षक करेंगे।
4. शिक्षकों को कार्यमुक्त करते समय शासन नियमों का पालन किया जाये।
5. त्रैमासिक एवं मासिक योग प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी एवं शिक्षकों को पुनः 10 दिवसीय बेसिक कोर्स एवं 30 दिवसीय बेसिक कोर्स हेतु पुनः कार्यमुक्त नहीं किया जावे यदि प्रशिक्षित अधिकारियों/शिक्षकों को उक्त प्रशिक्षणों हेतु कार्यमुक्त किया जाता है तो उन्हें प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जिसका उत्तरदायित्व कार्यमुक्त करने वाले अधिकारी का होगा।
6. ऐसी शालाओं के शिक्षकों को योग प्रशिक्षण हेतु चयनित करने में प्राथमिकता दी जाये जिनमें एक भी शिक्षक योग प्रशिक्षित नहीं हो एवं एक शिक्षकीय शाला के शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
7. शिक्षकों को **शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र मध्यप्रदेश, डी–103/3 रेडक्रास हास्पिटल के पास, लिंक रोड नं. –1, शिवाजी नगर, भोपाल फोनः 0755–2574828** की ओर इस प्रकार कार्यमुक्त करें कि वे प्रशिक्षण आरम्भ होने की तिथि के एक दिन पूर्व रात्रि तक अनिवार्यतः **योग छात्रावास** मयूर पार्क के पीछे, तुलसी नगर, भोपाल में अपनी उपस्थिति दे सकें।
8. शिक्षकों को शासन नियमानुसार यात्रा एवं दैनिक भत्ते की पात्रता होगी। शिक्षकों को कार्यमुक्त करते समय अग्रिम यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ते के रूप में पर्याप्त राशि अनिवार्य रूप से प्रदान की जाये। राशि उपलब्ध न होने पर अग्रिम राशि स्थानीय निधि (क्रीड़ा, स्काउट, रेडक्रास आदि) मद् से प्रदान की जाये।
9. प्रशिक्षण में उपस्थिति के समय शिक्षक को क्रियाकलाप शुल्क रू. *300/–* जमा करना होगा। उक्त राशि भी क्रीड़ा निधि से अनिवार्य रूप से शिक्षक को अग्रिम प्रदान की जाये।
10. 30 दिवसीय प्रत्येक सत्र में 10 स्थान अशासकीय (प्राइवेट) व्यक्तियों के लिए पृथक से नियमानुसार उपलब्ध रहेंगे। उक्त प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु अनिवार्य योग्यता हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण है।
11. शिक्षकों के आवास हेतु छात्रावास में 12 एच टाइप आवास हैं जिनमें 48 शिक्षकों के ठहरने की व्यवस्था है, शिक्षकों को ओढ़ने बिछाने के बिस्तर, आवास एवं भोजन सम्बन्धी अन्य सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध कराई जावेगी।
12. शिक्षकों को अपने साथ गणवेश (पुरूषों को ट्रेकसूट अथवा लोवर–टी शर्ट, महिलाओं को ट्रेकसूट सलवार कमीज) मौसम के अनुरूप वस्त्र, मच्छरदानी, दो ताले, पेन–पेंसिल, नोटबुक, इत्यादि अनिवार्यतः साथ लाना है।
13. अतिरिक्त सशुल्क कक्षाओं हेतु प्रशिक्षणार्थियों से सहमति प्राप्त की जायेगी तथा सहमत होने की दशा में संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क सम्बन्धित शिक्षकों द्वारा देय होगा।
14. जिन सत्रों में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या निर्धारित संख्या से कम रहती है उन सत्रों में अपेक्षित जिलों के अतिरिक्त अन्य जिलों के इच्छुक शिक्षकों को योग विभागाध्यक्ष की सहमति से सम्मिलित किया जा सकेगा, इच्छुक शिक्षक उचित माध्यम से अपना आवेदन, योग विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेंगे।
15. अन्य विभागों के विभाग प्रमुख (विभागाध्यक्ष), अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु चयनित कर, सूची प्रशिक्षण आरम्भ होने के एक माह पूर्व निदेशक, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, भोपाल को प्रेषित करेंगे जिससे समुचित व्यवस्थाएं की जा सकें।

आयुक्त 5/13

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक / विद्या / यो.प्र.पं. / 2018–19 / 1328 भोपाल, दिनांक 5/5/18

प्रतिलिपि :–

01. विशेष सहायक, मान. मंत्री स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश।
02. निज सचिव, मान. राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल।
03. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग।
04. प्रमुख सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
05. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश।
06. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश।
07. निदेशक, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, भोपाल।
08. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
09. योग विभागाध्यक्ष, शासकीय योग प्रशिक्षण केन्द्र म0प्र0, भोपाल।

5/5/18

आयुक्त

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश